कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के सलंग्न ग्रुप–डी–II के अनुरूप **प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष की वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध हुई विभागीय पदोन्नति समिति** की अभिशंषा अनुसार चयन किये जाने पर शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारी को पे–बेण्ड 15600–39100 पीबी.–3 ग्रेड पे 6600 में चयनित कर पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.11.2015 के परिपेक्ष्य में पदोन्नति के पात्र होने के कारण इन्हें उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है:–

क्र. सं.	वरिष्ठता क्रमॉक	वर्ष	नाम मय पदस्थापन स्थान	जिला	पदोन्नति पर पदस्थापन
1	2	3	4	5	6
01	1854	1996–97	शक्ति सिंह चम्पावत, व्याख्याता अग्रेजी, राउमावि, भाटियानाडी–जोधपुर	जोधपुर	सिंहादा–जोधपुर
02	1004	94–95	अजीजुददीन खान, व्याख्याता–भौतिकी, राउमावि, रतनजिला–करौली	करौली	वालेरा–सायला, जालोर
03	1725	96–97	अनिल कुमार, व्याख्याता–अर्थशास्त्र, राउमावि, नोहर–हनुमानगढ	हनुमानगढ	सिपेला–जैसलमेर

संबंधित अधिकारी नियत दिनांक:–04.08.16 तक पदोन्नति पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेगें। लोकसेवक अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहे तो उसे अपने नियन्त्रण अधिकारी को नियत दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा उन्हें नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा। नियन्त्रण अधिकारी निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व आवश्यक रूप से पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पदस्थापित स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए उत्तरदायी होगें । कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी(संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ईमेल सूचित करेंगे।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक/शिविरा/मा/संस्था/बी–2/प्रधानाचार्य/15–16/16–17 दिनांक:–28.07.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत्

1. शासन सचिव–शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. समस्त शिक्षा उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक)
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर नोडल प्रधानाचार्यो के माध्यम से पदोन्नत होने वाले लोक सेवक को आदेश जारी होने वाले दिवस को ही तामिल करवाकर उसकी रसीद प्राप्त करेगें। इसी प्रकार कार्यग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि आगामी दिवस को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल सूचित करेगें ।
6. संबधित पदोन्नत कार्मिक/कार्यालय/संस्थाप्रधान को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट से आदेश की प्रति डाउनलोड कर संबंधित संस्था से कार्यमुक्त होकर पदोन्नति पदस्थापन संस्था में कार्यभार ग्रहण कर सकेगें ।
7. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/सी/गोपनिय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी–3
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर